<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 389 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक:-13 / 07 / 15</u> फाईलिंग नं. 233504003582015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि क्त द्ध

संतोष पिता कामजी उइके उम्र 20 वर्ष, निवासी तोरनवाड़ा थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 26.09.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.06.2015 को समय दोपहर करीब 12:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम बर्राढाना तोरनवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुनील धुर्वे को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 02.06.2015 को दोपहर करीब 12 बजे उसके घर पर अपने माता पिता से बातचीत कर रहा था। तभी अभियुक्त उसके घर के सामने आया और पुराने विवाद को लेकर उसे मादरचोद बहनचोद की मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जो उसे सुनने में बुरी लगी। जब उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से माथे एवं पीठ पर मारा जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 309/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं०सं०

का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :—

5

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.06.2015 को समय दोपहर करीब 12:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम बर्राढाना तोरनवाड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी सुनील धुर्वे को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 सुनील (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घ ाटना उसके घर ग्राम बर्राढाना तोरनवाड़ा की है। घटना दिनांक को वह उसके घर पर अपने माता पिता से बातचीत कर रहा था तभी अभियुक्त पुराने विवाद पर से उसके घर के सामने आया और उसे गालियां देने लगा। उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे धक्का दे दिया तथा उसे थप्पड़ से मारा जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाने में की थी जिस पर पुलिस ने (प्रदर्श प्री—2) का मौका नक्शा तैयार किया था।
- 7 सुनील (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा उसकी कॉलर पकड़कर उसे धक्का देने एवं थप्पड़ से मारपीट किया जाना बताया है परंतु साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसे माथे एवं पीठ पर कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुचाये जाने की बात को गलत बताया है।
- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ धक्का मुक्की कर थप्पड़ से मारपीट की जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से आहत / फरियादी को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी सुनील को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त संतोष को धारा 324 भा.दं.सं. के

अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 9 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसर संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)